दिनांक 08.08.2022
प्रेस विज्ञप्ति 08/2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट वाराणसी/थाना कैण्ट

- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **लूट के 13 हजार 150 रूपये नगद**
- **09 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त 02 टैम्पों वाहन**
- **01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा**
- **01 सोने का टुकड़ा बरामद**

दिनांक 08.08.2022 को थाना कैण्ट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कैण्ट रेलवे स्टेशन से 06 अभियुक्तों 1–मनीष कुमार 2–राजा उर्फ विजय सिंह 3–आशीष उर्फ कल्लू 4–रिंकू कुमार 5–सुनील कुमार 6–रवि कुमार को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 13 हजार 150 रूपये नगद, 09 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 02 टैम्पों वाहन, 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा, 01 सोने का टुकड़ा बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना कैण्ट क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कैण्ट पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये आदि लूट की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कैण्ट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—मनीष कुमार निवासी काशीराम आवास थाना शिवपुर, वाराणसी।

2—राजा उर्फ विजय सिंह निवासी काशीराम आवास थाना शिवपुर, वाराणसी।

3—आशीष उर्फ कल्लू निवासी काशीराम आवास थाना शिवपुर, वाराणसी।

4—रिंकू कुमार निवासी काशीराम आवास थाना शिवपुर, वाराणसी।

5—सुनील कुमार निवासी काशीराम आवास थाना शिवपुर, वाराणसी।

6—रवि कुमार निवासी काशीराम आवास थाना शिवपुर, वाराणसी।

<u>बरामदगी</u>

1—लूट के 13 हजार 150 रूपये नगद।

2—09 मोबाइल फोन।

3—घटना में प्रयुक्त 02 टैम्पों वाहन।

4— 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा।

5—01 सोने का टुकड़ा।

<u>जनपद बिजनौर/थाना नगीना</u>

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट गयी अर्टिगा कार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 08.08.2022 को थाना नगीना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभियुक्त शुभदीप को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट गयी अर्टिगा कार, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 07.08.2022 को थाना नगीना क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना नगीना पर मु0अ0सं0 250/2022 धारा 394 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद कार उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना नगीना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शुभदीप निवासी गायरामपुर थाना बंडा जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी

1–लूट गयी अर्टिगा कार।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना फेस–1

- **पुलिस कार्यवाही में 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 03 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)बरामद**

दिनांक 07.08.2022 को थाना फेस–1 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेक्टर–14ए शनि मंदिर के पास मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में बदमाश इश्तकार घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के 03 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर) बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर व गाजियाबाद के विभिन्न थानो में चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार से बरामद मोबाइल फोन लूट की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना फेस—1 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—इशतकार निवासी कल्याणपुरी, दिल्ली, वर्तमान पता छिजारसी सैक्ट—63 नोएडा।

बरामदगी

1—लूट के 03 मोबाइल फोन।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

3—01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

जनपद कुशीनगर/थाना हनुमानगंज

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 02 लाख 47 हजार रूपये कीमत की चोरी के लैपटॉप, मोबाइल फोन आदि**
- **2200/—रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 08.08.2022 को थाना हनुमानगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना हनुमानगंज क्षेत्र से 02 अभियुक्तों 1—जैकी 2—विकास कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 02 लाख 47 हजार रूपये कीमत की चोरी के लैपटॉप, मोबाइल फोन आदि, 2200/—रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके कब्जे से बरामद लैपटॉप व मोबाइल फोन आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना हनुमानगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जैकी निवासी पटेसरा (मदनपुर) थाना नौरंगिया जनपद पश्चिमी चम्पारण, बिहार।

2–विकास कुमार निवासी पटेसरा थाना नौरंगिया जनपद पश्चिमी चम्पारण, बिहार।

बरामदगी

1–लगभग 02 लाख 47 हजार रूपये कीमत की चोरी के लैपटॉप, मोबाइल फोन आदि।

2–2200/–रूपये नगद।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस।

4– घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

जनपद बदायूँ/थाना उझानी

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **20 हजार रूपये नगद**
- **01 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त टैम्पो वाहन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 07.08.2022 को थाना उझानी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्तों 1–अमरजीत 2–इन्तियाज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, 20 हजार रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त टैम्पों वाहन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनांकः 17/18.06.2022 को थाना उझानी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना उझानी पर मु0अ0सं0 385/2022 धारा 380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना उझानी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अमरजीत निवासी ग्राम नोरथा थाना सिकन्दराऊ जनपद हाथरस।

2–इन्तियाज निवासी ग्राम अब्दुलागंज थाना उझानी, जनपद बदायूँ।

बरामदगी

1–चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण।

2–20 हजार रूपये नगद।

3–01 मोबाइल फोन।

4–घटना में प्रयुक्त टैम्पों वाहन।

5– 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

जनपद गाजियाबाद/थाना मधुबन बापूधाम

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 10 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 07.08.2022 की रात्रि थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 04 अभियुक्तों 1–दीपक 2–निखिल कुमार 3–अमन 4–अर्जुन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरूद्ध जनपद गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी के कई अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा जनपद गाजियाबाद के भिन्न–भिन्न थाना क्षेत्रो से वाहनों की चोरी कर ग्राहकों को सस्ते दामों में बेच देते हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मधुबन बापूधाम पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–दीपक निवासी काजीपुरा वेव सिटी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद मूलपता–जुआखेड़ा थाना परौर जनपद बदायूं।

2–निखिल कुमार निवासी ईडब्लूएस बापूधाम गाजियाबाद।

3–अमन निवासी सीएनजी कैम्प के पास थाना मधुबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद।

4–अर्जुन निवासी काजी वेव सिटी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी

1–चोरी की 10 मोटर साइकिल आदि।

जनपद मीरजापुर/थाना अहरौरा

- **02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 30 लाख रूपये कीमत की 305 ग्राम अवैध हेरोइन(मादक पदार्थ) आदि बरामद**

दिनांक 07.08.2022 को थाना अहरौरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना अहरौरा क्षेत्र से 02 अभियुक्तों 1–सोनू 2–सुनील को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 30 लाख रूपये कीमत की 305 ग्राम अवैध हेरोइन (मादक पदार्थ), 01 वेट मशीन बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त सोनू के विरूद्ध लूट, चोरी, हत्या, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, गैगेस्टर एक्ट आदि के 17 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना अहरौरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सोनू निवासी चांद खम्भरिया थाना खीरी जनपद प्रयागराज।

2–सुनील निवासी महमूदपुर थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर।

बरामदगी

1–लगभग 30 लाख रूपये कीमत की 305 ग्राम अवैध हेरोइन (मादक पदार्थ)।

2– 01 वेट मशीन।

➢ **जनपद एटा/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन सश्रम कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जिला सत्र न्यायाधीश जनपद एटा द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–प्रदीप उर्फ टिंकू 2–जितेन्द्र उर्फ नीटू को आजीवन सश्रम कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फतेहपुर/थाना कल्यानपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी–प्रथम जनपद फतेहपुर द्वारा थाना कल्यानपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(2)च भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सुनील उर्फ तेजू सिंह को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————